

ज्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर
 नाम कप्त सिंह बनाम हरदेव सिंह आदि
 पण संख्या 59 / 2021 अन्तर्गत धारा 212 RPA

दिनांक आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

21/12/21

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 23/03/2022 की अध्यापी विवेचना को मूलवाद के निर्णय तक अध्यापी किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कप्त कोकर दाखिल कृत है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर